न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 262/2015 **दायरा दिनांक : 16.11.2015**

उनवान

1– भंवरलाल उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री सीताराम
2– रामकुवांर उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री सीताराम
3– जानकीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री सीताराम
4– हेमराज उम्र 46 वर्ष पुत्र श्री सीताराम
5– सुभाष उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री सीताराम
जातिगण माली निवासीगण रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड मांगरोल जिला बारां
2– कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीसवाली जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – 1–श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
2–राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक :01.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 92/2014 निर्णय दिनांक 11.09.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन

किया कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल की खाता संख्या 301 की खसरा नं. 1117 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 1218 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नं. 1224 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नं. 1313 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 1311 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 1370 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं. 2654 रकबा 1.05 हैक्टर कुल 7 किता की 1.72 हैक्टर आराजी स्थित है। खसरा नं. 1370 की 0.15 हैक्टर आराजी विवादित है। अप्रार्थीगण सीसी रोड निर्माण का कार्य कर रहे है और प्रार्थी के खाते की आराजी में से रोड निकालना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाये कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11–09–2015 को प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मौका रिपोर्ट जिसको आधार माना गया है वो पक्षपात पूर्ण है। रिपोर्ट अस्पष्ट और मनमानी है। अपीलांट के खाते की आराजी पर सडक निर्माण का रेस्पोडेंट को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोहराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेंट अपीलांट की आराजी में से सडक निकाल रहे है। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय है और अस्पष्ट है, जिसको आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेंट को अपीलांट के खाते की आराजी पर सडक निर्माण का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट अपीलांट के खाते की आराजी पर सडक निर्माण नहीं कर रहे है। रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलांट ने यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है कि रेस्पोडेंट उनके खाते की आराजी खसरा नं. 1370 रकबा 0.15 हैक्टर पर सडक

निर्माण कर रहे है। अपने पक्ष के समर्थन में फोटोप्रति नकल जमाबंदी पेश की है। पत्रावली पर एक मौका रिपोर्ट दिनांक 02–06–2015 सलंग्न है। ये मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। एक अन्य रिपोर्ट की फोटोप्रति सलंग्न है जिसमें खसरा नं. 1374 रकबा 0.14 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता का सीमाज्ञान कराया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट के खाते की आराजी की पैमाईश अपीलांट के सामने नहीं की गई है। इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी की पैमाईश करवाया जाना आवश्यक समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त आराजी की उभयपक्षकारान की मौजूदगी में पैमाईश करवा कर तदनुसार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19–02–2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा